eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 03, Issue 12, December 2024

गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार और पर्यावरण

निरूपमा सिंह[1]
[1]असिस्टेंट प्रोफेसर (राजनीति विज्ञान), राजकीय महाविद्यालय, जहाँगीराबाद, बुलन्दशहर

Received: 24 Oct 2024 Accepted & Reviewed: 25 Oct 2024, Published : 31 Dec 2024

Abstract

पर्यावरण और मानव का गरिमामय जीवन परस्पर घनिष्ठ रूप से निर्भर है। इस शोध पत्र में पर्यावरण की गुणवत्ता का भारतीय संविधान के अनुच्छेद–21 के अन्तर्गत आने वाले मौलिक अधिकार ''गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार'' पर क्या प्रभाव पड़ता है, समझने का प्रयास किया गया है। न केवल मनुष्य का बल्कि प्रत्येक प्राणी का जीवन और उसके जीवन की गुणवत्ता पर्यावरण तथा पर्यावरण के भौतिक और जैविक संतुलन जिसे पारिस्थितिक कहते हैं, पर निर्भर होता है। इस शोध पत्र में पर्यावरण व मनुष्य का सम्बन्ध, भारतीय संविधान में पर्यावरण की संवैधानिक स्थिति, गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार तथा पर्यावरण के साथ सम्बन्ध पर विश्लेषण कर निष्कर्ष पर पहुँचा गया है।

प्रमुख शब्द – पर्यावरण, गरिमा, मौलिक अधिकार, जीवन, जल, वायु, सम्बन्ध

Introduction

प्रत्येक प्राणी का अस्तित्व और उसके जीवन की गुणवत्ता पर्यावरणीय परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इस प्राणी जगत से मनुष्य भी एक है, जो न केवल अपने पर्यावरण से प्रभावित होता है बल्कि अपने क्रियाकलापों द्वारा इसे प्रभावित भी करता है। भारत में प्राचीनकाल से ही पर्यावरण व मनुष्य के सम्बन्ध को गहराई को समझ लिया गया था। अतः भारतीय उपमहाद्वीप के प्रत्येक क्षेत्र के लोगों की संस्कृति के प्रत्येक कार्यकलाप का सम्बन्ध प्रकृति से किया गया। जिससे पर्यावरण से मिलने वाले प्रत्येक तत्व के महत्त्व व प्रभाव को आम जनमानस भी समझ सके और पर्यावरण व भविष्य की पीढ़ियों के प्रति अपने कत्तव्यों को निभा सकें। वे पर्यावरण को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग करते और इसके ऐवज में पेड़–पौधों व अन्य परिस्थितिकी को संरक्षित व संवर्धित करने के कार्य करते हैं। मानव समाज में पर्यावरण के दो आयाम हैं–1. प्राकृतिक पर्यावरण जिसमें पेड़–पौधों, वन, वन्य जीव, जल, वायु, भूमि, झील, पहाड़ इत्यादि आते हैं। दूसरा आयाम है–मानवीय पर्यावरण जिसमें मनुष्य के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, राजनैतिक क्षेत्र का वातावरण आता है। एक मानव का जीवन कैसा हो सकता है, यह इन दोनों पर्यावरण पर निर्भर करता है।

मनुष्य के मानवीय पर्यावरण का स्वरूप प्राकृतिक पर्यावरण की उपलब्धता द्वारा निर्धारित होता है। खानपान के उदाहरण से इसे समझा जा सकता है। जिस क्षेत्र में जो खाद्य पदार्थ प्राकृतिक रूप से ज्यादा मात्रा में उपलब्ध होती है, उसे ही उस क्षेत्र में रहने वाला मानव ज्यादा खाता है, जैसे नारियल भारत के दक्षिण भाग में प्रचुर मात्रा में पैदा होता है। अतः दक्षिण भारतीय खाने में नारियल और उसका तेल प्रमुख रूप से उपयोग किया जाता है। इस प्रकार समुद्री इलाकों में मछली प्रचुर मात्रा में उपलब्धता होती है। अतः बंगाल, उड़ीसा जैसी जगहों पर यह भोजन में प्रमुखता से ली जाती है। भारतीय संस्कृति में मनुष्य जीवन की दिनचर्या में पर्यावरण अभिन्न रूप से समाहित है। तुलसी के पौधे को जल देना, आँगन में नीम का होना,

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 03, Issue 12, December 2024

शादी में दूब व हल्दी का प्रयोग तथा ज्ञान के स्थल के रूप में पीपल का महत्त्व, न जाने और भी कितने ही पेड़–पौधे भारतीय जीवन पद्धति का अभिन्न अंग अभी तक बने हुए हैं। परन्तु आधुनिकता के दौर में शहरी इलाकों में ज्यादा और ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ी कम मात्रा में ये बाते दिनचर्या से दूर होने लगी हैं।

वैज्ञानिक क्रान्ति और औद्योगिकीकरण के कारण विश्व के पर्यावरण को क्षति पहुँची है, आज इसके फलस्वरूप जल, थल व नभ का पर्यावरण प्रदूषित हो चुका है। वायु, जल वो कारक हैं, जिससे प्रत्येक प्राणी जीवन प्राप्त कर जीवन जीते हैं। यदि ये हानिकारक तत्व से भरे रहेंगे तो पर्यावरण की गुणवत्ता अर्थात् जल, वायु मिट्टी की गुणवत्ता से प्रभावित होगी तथा मानव के जीवन पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। ये प्राकृतिक संसाधन मानवीय विकास और मानव जीवन को शक्ति प्रदान करते हैं, यदि ये किसी भी प्रकार से दुष्प्रभावित होंगे तो मानव जीवन को भी, उसी प्रकार प्रभावित करेंगे। पूर्व में इराक की मैसोपोटामिया, पीरु की इंका सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यताओं के पतन का प्रमुख कारण वहाँ के वनों के विनाश होने को माना जाता है, के उदाहरण भी उपस्थित हैं। प्रकृति के बिना जीवन के अस्तित्व की कल्पना करना मुश्किल है। ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस प्रभाव ने प्राकृतिक वातावरण को बदल दिया है। ये दोनों कारक मानव की आधुनिक जीवन शैली से उत्पन्न प्रदूषण के कारण बने और अब निरन्तर पर्यावरण इनसे दुष्प्रभावित हो रहा है। वनों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है जबकि किसी भी देश के लिए उसकी भूमि पर एक तिहाई वन होना आवश्यक है क्योंकि ये आर्थिक विकास में सहायता करते हैं और प्राकृतिक आपदाओं से भी मानव की रक्षा करते हैं। वायु प्रदूषण को अवशोषित करते हैं, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाते हैं, मिट्टी के कटान को रोकते हैं, बारिश में मद्दगार होते हैं। मनुष्य के स्वास्थ्य को स्वस्थ बनाए रखते में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अनगिनत लाभ वन व वन्य वनस्पति से मिलते हैं। इसी प्रकार जल की स्थिति का प्रभाव मनुष्य के जीवन पर होता है। जल की कमी की स्थिति से एक मनुष्य का जीवन कैसे बदल जाता है, महात्मा गौतम बुद्ध इसका एक बड़ा उदाहरण है। उन्होंने गृहत्याग किया क्योंकि रोहिणी नदी के जल को उपयोग करने के लिए शाक्यों व कोलियों में युद्ध की स्थिति बनी, इसी युद्ध का विरोध करने के फलस्वरूप उनके संघ ने उन्हें संघ से निष्काषित कर दिया और वे एक प्राव्रजक के रूप में संघ व गृह को छोड़कर, शान्ति बनी रहे, नियमों का पालन होता रहे, के लिए चले गए। महाराष्ट्र के डेंगानमल गाँव में भी जल कमी के कारण वहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों के पुरुष बहुविवाह करते हैं, का भी वर्तमान का उदाहरण हमारे समक्ष उपस्थित है। वे कई–कई पत्नियाँ रखते हैं क्योंकि दूर से पानी लाने की जरुरत को पूरा करने के लिए अनेक महिलाओं की आवश्यकता उन्हें लगती है। इस प्रकार जल की कमी एक सामाजिक कुरीति को बढ़ावा दे रही है जिससे महिलाओं की गरिमा को भी ठेस पहुँचती है।

अति वायु प्रदूषण के कारण बीते विगत वर्षों में दिल्ली व एनसीआर सहित अनेक इलाकों में स्कूल–कॉलेजों में कई–कई दिन की छुट्टी तक की गई है तथा बाहर जाने के लिए विशेष निर्देश भी सरकारों द्वारा जारी किए गए हैं। अनेकानेक उदाहरण जलवायु परिवर्तन व ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभाव के हमें अपने चारों ओर मिलते हैं। जन्तु जगत सहित मानव जगत पर अनेक हानिकारक प्रभावों को हम प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर रहे हैं। भारत में लगभग 70 प्रतिशत आबादी सीधे भूमि आधारित संसाधनों पर जीवन व्यतीत करती है। पारिस्थितिकी तंत्र के लोग कहलाने वाले तो पूर्णतः प्राकृतिक संसाधनों से ही जीवन जीने के लिए व्यवसाय, जंगल, आर्द्रभूमि, समुद्री आवास, पानी, भोजन, ईंधन, आवास, चारा, दवा इत्यादि के साथ सांस्कृतिक पोषण भी प्राप्त करते हैं परन्तु दूसरे पक्ष पर रहने वाले शहरी व कस्बाई जनता भी प्राकृतिक

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 03, Issue 12, December 2024

संसाधनों से प्राप्त सुविधाओं पर ही निर्भर करती है। विकसित देश हो या विकासशील देश सभी देशों में पर्यावरण महत्वपूर्ण व प्रमुख घटक है। अतः पर्यावरण का संरक्षण आवश्यक है। यदि पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों को हाँनि पहुँचती रहेगी, उनका विनाश होता रहेगा तो मानव का अस्तित्व भी संकट में आ जायेगा, जो मानव के अधिकारों का हनन भी करेगा, फलस्वरूप सामाजिक विघटन, संघर्ष और युद्ध को भी जन्म देने वाले परिस्थितियों का निर्माण करेगा। इस प्रकार के वातावरण में स्वच्छ हवा, पानी तक पहुँच मुश्किल बनेगी, उत्पादक भूमि का क्षरण होगा, ऊर्जा स्रोत व बायोमास को भी हानि होगी। ये सभी परिस्थितियाँ भारत सहित सम्पूर्ण विश्व में लोग अनुभव करने लगे हैं।

करोड़ों लोग न्यूनतम स्तर से बहुत नीचे स्तर पर जीवन जीने के लिए मजबूर हो गए हैं, उन्हें पर्याप्त पानी, भोजन, कपड़े, आश्रय और शिक्षा, स्वास्थ्य व स्वच्छता से वंचित किया जा रहा है। विकास की अवधारणा इन समस्याओं के हल ढूंढ़ती है, परन्तु इसमें समाज के शक्तिशाली लोगों के वर्ग को प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा देकर, गरीब व वंचित लोगों की संख्या को बढ़ाया है, उनसे जंगल, पानी, जमीन को आर्थिक प्रगति के लिए छीन लिया गया है। 1972 में हुए स्टॉक होम सम्मेलन में पर्यावरण के महत्व को पहली बार अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हुई, इसमें कहा गया कि–**''मनुष्य को स्वतन्त्रता, समानता और जीवन की पर्याप्त स्थितियों को प्राप्त करने का मौलिक अधिकार है, एक ऐसे पर्यावरण में जो गरिमा और कल्याणकारी जीवन जीने की अनुमति देता है और वर्तमान व भविष्य की पीढ़ियों के लिए पर्यावरण की रक्षा और सुधार की गंभीर जिम्मेदारी है।''**

मानव जीवन का प्रत्येक क्षेत्र प्राकृतिक पर्यावरण और उसकी गुणवत्ता से प्रभावित होता है। भारतीय संविधान में भी इस सम्बन्ध के महत्व को समझा गया और 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में अनुच्छेद–51ए के द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्त्तव्यों में और अनुच्छेद 48ए द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में पर्यावरण की सुरक्षा, वन ओर वन्य प्राणियों की सुरक्षा तथा विकास की बात को जोड़ा गया। अनुच्छेद–48ए घोषित करता है कि राज्य पर्यावरण के सुधार व संरक्षण हेतु प्रयास करेगा और राष्ट्र के वन जीवन की सुरक्षा का भी प्रयास करेगा। अनुच्छेद–51ए घोषित करता है कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण में सुधार व उसका संरक्षण करें। 1976 से पूर्व संविधान में पर्यावरण सुरक्षा का कोई उल्लेख नहीं था परन्तु अनुच्छेद–21, 42, 47, 48 और सातवी अनुसूची में आवंटित विषयों में से अनेक विषयों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण सम्बन्धी कानून को बनाया जा सकता था।

बदलते अन्तर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय परिवेश के परिणाम स्वरूप भारतीय संविधान के अनुच्छेद–21 का गुणात्मक विस्तार हुआ, जो वर्तमान में भी जारी है। इसके द्वारा संविधान प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार देता है कि उसकी प्राण व दैहिक स्वतन्त्रता को विधि की प्रक्रिया द्वारा ही वंचित किया जा सकेगा अन्यथा नहीं। भारतीय न्यायपालिका द्वारा प्राण व दैहिक स्वतन्तत्रा अर्थात जीवन शब्द का बहुत ही विस्तृत व मनुष्य के जीवन को गुणात्मक रूप से विकसित करने वाली परिस्थितियों के सम्बन्ध में लिया गया। जिसके द्वारा वर्तमान में ''गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार'' विकसित हुआ ओर मौलिक अधिकार बना। फ्रांसिस कैरली बनाम दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के मुकदमें में सर्वोच्च न्यायालय ने जीने के अधिकार को केवल पशुवत समान जीवन नहीं माना। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा–''क्या जीने का अधिकार केवल शरीर के अंगों या उसकी मानसिक क्षमता के संरक्षण'' तक ही सीमित है या यह उससे ज्यादा है और इसमें और भी कुछ आता है।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 03, Issue 12, December 2024

हम समझते हैं कि जीवन के अधिकार में मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार और उससे जुड़ी सारी बातें अर्थात् समुचित पोषण, कपड़ा, आश्रय, पढ़ने–लिखने और स्वयं को विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त करने, स्वतन्त्रतापूर्वक आने–जाने और साथ ही मनुष्यों के साथ मिलने–जुलने की सुविधाएँ जैसे जीवन की बुनियादी आवश्यकताएँ शामिल हैं। यह अवश्य है कि इस अधिकार में शामिल तत्वों का रूप और उनका परिणाम इस पर निर्भर करेगा कि देश का आर्थिक विकास किस सीमा तक हुआ है.... जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं का अधिकार और उन कार्यों और क्रियाकलापों को करने का अधिकार अवश्य शामिल करना चाहिए, जो मनुष्य की न्यूनतम आत्माभिव्यक्ति करते हैं। विशेष ध्यान रखने योग्य बिन्दू है कि आर्थिक विकास की स्थिति पर यह अधिकार निर्भर करता है और आर्थिक विकास हेतु पर्यावरणीय महत्वपूर्ण है। इस प्रकार मानव जीवन की गुणवत्ता पर्यावरण पर निर्भर करती है। गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार के महत्वपूर्ण तत्व है–मनुष्य की बुनियादी जरूरते, इसमें पानी, भोजन, आश्रय, कपड़े, स्वास्थ्य सेवाऐं, स्वच्छता जैसी आवश्यकताओं की पूर्ति किसी गुणवत्ता के आधार पर उपलब्ध होती है, शामिल है। यदि मनुष्य का जीवन इनसें वंचित है या ये सम्मानजनक रूप से उपलब्ध नहीं हैं तो गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार को हानि पहुँचती है। इसके साथ मनुष्य का शारीरिक व मानसिक विकास के लिए किस प्रकार का वातावरण उपलब्ध है, उनका किसी प्रकार का शोषण तो नहीं हो रहा तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की उपलब्धता, व्यक्तिगत स्वायत्ता व आत्मनिर्णय की स्वतन्त्रता तथा क्षमता का विकास लोगों में हो ऐसी परिस्थितियाँ मानव गरिमा को बनाती है। इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्यावरण की स्थिरता प्रमुख घटक है, इसी स्थिति में वो सभी संसाधन मिल सकेगे, जो मनुष्य की इन आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण इन सबके लिए अनिवार्य है। प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण के क्षरण से जनमानस का कल्याण सम्भव नहीं हो सकता। जब पर्यावरण में जनकल्याण के संसाधनों की कमी होती है, तब अमीर लोगों का उन पर कब्जा होने लगता है तथा जिन लोगों के पास पर्याप्त धन नहीं होता या गरीब होते हैं वे सदैव अभावों का जीवन जीते हैं। जो कि गरीबी का दुष्चक्र बनाता है। पर्यावरण का संरक्षण कर ही मानव प्राकृतिक संसाधनों को बनाये रख सकता है। तभी उसे स्वच्छ वायु, भोजन और अन्य आवश्यक चीजे प्राप्त होगी, जो उसे एक गुणवत्तापूर्ण जीवन प्रदान करेगी। इस प्रकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद–21 के अन्तर्गत प्राप्त मौलिक अधिकार ''गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार'' को प्राप्त करने की दशा व दिशा में गुणात्मक सुधार हो सकेगा।

यदि पर्यावरण ही सुरक्षित नहीं होगा, स्वच्छ नहीं होगा, हम इन परिस्थितियों में सामान्य लोगों को गरिमामय जीवन प्राप्त नहीं हो सकता। ''गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार'' पूर्णतः लागू नहीं हो सकेगा।

संदर्भ सूची–

1. अवस्थी, डॉ0 अमरेश्वर, अवस्थी, डॉ0 आनन्द, प्रकाश, भारतीय प्रशासन लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा, 2006, पृ0सं0 508–517
2. कश्यप, सुभाष अनुवादक ध्रुवनाथ चतुर्वेदी, भारतीय संविधान और आम आदमी, प्रकाशन विभाग सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार।
3. अम्बेडकर, डॉ0 भीम राव, बुद्ध और उनका धम्म, अनुवादक भदन्त आनन्द कौसल्यायन, समता प्रकाश, नागपुर, पृ0सं0 19–22

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 03, Issue 12, December 2024

4. चौधरी, बासुकी राय, युवराज कुमार (संपादन), भारतीय शासन और राजनीति, ओरियंट ब्लैकस्वान, पृ0सं0 445–449
5. Kothari Ashish & Patel Anuprita, Environment and Human Rights, National Human Rights Commission, 2006 (https://www.ignfa.gov.in)
6. "Water Wives : How Lack of Water in the Maharashtra Village Led to...." https://indiatimes.com>india